7/8/25 वकील मामला उपस्थित। पत्रावली में वाद हेतु सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेज अवलोकन करने पर पाया कि मामला हस्तक्षेप योग्य में नाली का पक्कीकरण नहीं बनाया व निर्धारित मापनी का मौकास्थल ही नहीं हुआ है। इसलिए कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता। अतः हस्तक्षेप में नाली का पक्कीकरण नहीं बनाने व मौकास्थल नहीं होने के कारण प्रार्थना अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फौरन [illegible] नस्ता ति हम होकर दाखिल दफ्तर [illegible] जाना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:31:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज०)